तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प नोताडा में पेश हुई। वादीगण द्वारा ग्राम नीमली तहसील दीगोद की आराजी ख0नं0 147 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर रहन बिल कब्जा एवं दिनांक 15.09.74 को खरीद के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही गई है। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जो शा0 मि0 किया गया। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। विवादित भूमि पूर्व में खातेदार श्रवण पुत्र ग्यारसीराम मीना की खातेदारी में दर्ज थी। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्व में वादीगण के उक्त भूमि रहन विल कब्ज सन् 1961 में 670 रू0 में वादीगण के दादा गुल मोहम्मद पुत्र आलम खा को की थी। गुल मोहम्मद की मृत्यु सन् 1969 में हो गयी। उसके पश्चात् गुल मोहम्मद के पुत्र बशीर मोहम्मद को सन् 1974 में 9001 रू0 में बैचान कर दिया, तब से ही बशीर मोहम्मद की मृत्य 1995 के बाद वादीगण का आज तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त भूमि पर केचमेंट एवं सेटलमेंट हो चुका है। जिसके नवीन वर्तमान ख0नं0 257, 258, 276 कुल किता 3 रकबा 2.25 हे0 भूमि नामा0 सं0 60 दिनांक 17.03.99 से सिवायचक दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि लावारिस है तथा वर्तमान में वादीगण उपरोक्त भूमि पर मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। चूंकि उक्त विवादित भूमि राजगामी हो चुकी है तथा लावारिस की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है। वैसे भी उपरोक्त भूमि को माननीय न्यायालय लावारिस घोषित कर चुका है और भूमि राज्य सरकार के खातें दर्ज है। यदि वादीगण उक्त भूमि पर विधिक हकदार है तो उक्त न्यायालय के आदेश की एवं नामा0 की अपील कर हक हकूक प्राप्त करनें के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करते। वैसे भी प्रकरण राज0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें वादीगण द्वारा वांछित स्वत्व चाहनें वाबत् उक्त रिट याचिका वापस लेनें के आधार पर निरस्त की जा चुकी है। इसलिए मिथ्या तथ्यों के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। लिहाजा वाद वादीगण खारिज किया जाता है। यदि वादीगण का उक्त सिवायचक भूमि पर कब्जा लगातार बना हुआ है तो राज्य सरकार के नियम/उपनियम में उद्घोषणा के आधार पर नियमन/आवंटन हेतु उजदारी करनें हेतु स्वतन्त्र है।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प नोताडा

उनवान

1. अब्दुल हमीद
2. अब्दुल रसीद
3. अब्दुल सलाम
4. अब्दुल सलीम
5. खुर्शीद मोहम्मद
6. अब्दुल वहीद
7. जहीर अब्बास पिसरान मृतक बशीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासीगण नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा
8. अफरोज पुत्री मृतक बशीर मोहम्मद पत्नी मोहम्मद अशफाक जाति मुसलमान निवासी 7/65 सरस्वती कॉलोनी, बांरा रोड, कोटा जिला कोटा
9. आमना बाई विधवा पत्नी मृतक बशीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–175ए/09

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण खारिज किया जाता है।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner